भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-225

उत्तर देने की तारीख- 01.12.2025

स्नातकों की फीस और वेतन

†225. श्रीमती रचना बनर्जी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क की वर्ष 2025 की रैंकिंग के अनुसार देश के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों से स्नातक का औसत वेतन कितना है;

(ख) राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क की वर्ष 2025 की रैंकिंग के अनुसार देश के सभी कृषि महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों से स्नातक का औसत वेतन कितना है; और

(ग) वर्ष 2025 में सभी आईआईटी तथा आईआईएम में सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांगजनों के लिए संस्थान-वार तथा श्रेणी-वार फीस कितनी है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग): उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2015 में इन एचईआई की वार्षिक रैंकिंग (जिसे इंडिया रैंकिंग्स कहा जाता है) के लिए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ़) शुरू किया गया था। इंडिया रैंकिंग की कार्यप्रणाली पाँच व्यापक मानकों अर्थात् "शिक्षण, अधिगम और संसाधन," "अनुसंधान और व्यावसायिक प्रयास," "स्नातक परिणाम," "आउटरीच और समावेशिता," तथा "सहकर्मी धारणा" पर आधारित है।

भारत रैंकिंग में भाग लेने वाले संस्थान मुख्य व्यापक मापदंडों और विशिष्ट उप-मानकों के अनुसार डाटा घोषित करते हैं। इन उप-मानडंडों में संस्थान से चयनित स्नातकों का औसत वेतन भी शामिल होता है।

पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए सभी रैंक प्राप्त संस्थानों द्वारा प्रस्तुत डाटा जिसमें चयनित स्नातकों का औसत वेतन भी शामिल है, आधिकारिक एनआईआरएफ़ वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाते हैं। रैंक प्राप्त इंजीनियरिंग संस्थानों द्वारा घोषित किए गए नियोजित स्नातकों का औसत वेतन https://nirfindia.org/Rankings/2025/EngineeringRanking.html पर उपलब्ध है। रैंक प्राप्त कृषि एवं संबद्ध संस्थानों द्वारा घोषित नियोजित स्नातकों का औसत वेतन https://www.nirfindia.org/Rankings/2025/AgricultureRanking.html. पर उपलब्ध है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में उच्च शिक्षा को लाभप्रद बनाने के लिए स्नातक (यूजी) कार्यक्रम की ट्यूशन फीस में छूट न केवल सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को दी जाती है, बल्कि समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को भी दी जाती है। इसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग छात्रों के लिए पूर्णतः शुल्क में छूट और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों (जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रूपए से कम है) को शुल्क की पूर्ण छूट तथा अन्य आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों (जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रूपए से 5 लाख रूपए के बीच है) को शुल्क में 2/3 की छूट भी शामिल है।
इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने विभिन्न छात्रवृत्तियाँ और फेलोशिप योजनाएं शुरू की हैं, जिनका लाभ आईआईटी, भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) और उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत छात्र उठा सकते हैं।

साथ ही, यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को वित्तीय बाधाओं के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर से वंचित न किया जाए, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, उन सभी छात्रों को संपार्श्विक मुक्त और गारंटर मुक्त शिक्षा ऋण प्रदान किया जाता है जो उच्च गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षा संस्थानों में मेरिट के आधार पर प्रवेश पा सकते हैं और शिक्षा ऋण लेना चाहते हैं। इसके अलावा, 8 लाख रूपए तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए 10 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण के लिए अधिस्थगन अवधि (पाठ्यक्रम अवधि जमा एक वर्ष) के दौरान 3% ब्याज छूट भी प्रदान की जाती है।

*****